

विषयः

विषय:-डब्ल्यू.पी.कमांक-21987/2015 द्वारा श्री अशोक कुमार
तिवारी, विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य।

पंजी क्रमांक-1017/2016/सा./19, दिनांक 15.02.2016
मान. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त पत्र दि.

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन हो।

उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त पत्र में डब्ल्यू.पी.कमांक. 21987/2015 द्वारा श्री अशोक कुमार तिवारी, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य पीटीशन प्राप्त हुई है। जिसका संबंध कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. संभाग—सीधी से है।

2/ अतः प्रकरण में कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. संभाग-सीधी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा। तदनुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

आदेशार्थ ।

अनु. अधिकारी.

~~अपराध~~

कृपया "अ" अनुक्रम देखें।

$$\begin{array}{r} 04 \overline{) 0316} \end{array}$$

~~प्रति~~

3. 400

०५३/१६

~~4/50E~~

~~5.0~~

25/03/16

8316

डा. लक्ष्मी कान्होबा शिंदे

हस्ताक्षर/व प्रमाण

~~भक्त आदी~~

59/03/16

Revised
9/2/2010

~~390 450~~
~~20~~

10/03/16

$$\begin{array}{r} 10 \\ 107.03 \overline{) 16} \end{array}$$

1102-03/23
15/03/2016

(2)

विषय: मुख्य पी.कमांक-21987/2015 द्वारा श्री अशोक कुमार तिवारी, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य।

का विभाग

— २७ —

अपारी आदेशों की निम्नलिखित व्यवस्था शासन के पक्ष समर्थन हेतु नहीं सिद्ध विभाग को अंशित करना चाहेंगे।

Recd
17/3/2016

अ.स. आदेश

17/03/16

अ.स.

कृपया नतीजा अवगत करा

वस्तु कर।

र.स.

17/03/16

8420

निर्देशानुसार नतीजा व्यवस्थित करने के लिए अतः उक्त विभागीय स्तर के संदर्भ में शासन के पक्ष समर्थन हेतु नहीं सिद्ध विभाग को अंशित करना चाहेंगे।

अ.स. आदेश

17/03/16

अ.स.

सचिव

विधि विभाग

18/03/16

18/3/16

चन्द प्रकाश अग्रवाल
सचिव, म.प्र.शासन
लोक निर्माण विभाग

Recd
17/3/2016

18/3/16

क्रि.प्र.सं.
26-3-16

① E.L. लीची

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 5789/2016

WP/21987/2015

FOR ADMISSION AND I.R.

Fixed for 29-02-2016

WP-DA-12

Respondent No. 1

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

To,

The State Of Madhya Pradesh,
Through The Secretary Dept Of Public Works Dept
Mantralaya, Vallabh Bhawan,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Jabalpur 16-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/
21987/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Ashok Kumar Tiwari** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/21987/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **29-02-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition

Your faithfully

[Signature]

DEPUTY REGISTRAR



[Handwritten notes and signatures]
S.O.
11/02
11/02/16
05

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 15/03/2016

क्रमांक-एफ-19-69/2016/स्था./19, राज्य शासन एतद्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, सीधी को मान.उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर में प्रकरण डब्ल्यू.पी.क्रमांक-21987/2015 द्वारा श्री अशोक कुमार तिवारी विरुद्ध सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लो.निं.वि. एवं अन्य में रिट अपील दायर करने मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
2. वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
3. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल कराना प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
 - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
8. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजे।
9. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते हैं वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
11. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित/छुपा हुआ नहीं रह जाए।
12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकदमे है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकदमे है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(सुनील मंडावी)
अवर सचिव
10/03/16

पृ.क्र.-एफ-19-69/2016/स्था./19

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग
राज्यपाल, दिनांक 15/03/2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. डिप्टी रजिस्ट्रार, मान0उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण, निर्माण भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण, उत्तर-परिक्षेत्र-ग्वालियर।
5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, सीधी प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करें एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे।
6. कलेक्टर - सीधी (म0प्र0)।

(सुनील मंडावी)
अवर सचिव
10/03/16

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग